



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024

आषाढ 28, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 209/79-वि-1-2024-2-क-13-2024
लखनऊ, 19 जुलाई, 2024

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024) जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2024)

[भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए
अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहा संक्षिप्त नाम जाएगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
29 सन् 1974 द्वारा
यथा संशोधित और
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधिनियम
संख्या 10,
सन् 1973 की
धारा 4 का
संशोधन

2-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, में, धारा 4 की उप धारा (1-क) में,-

"(क) खण्ड (ज) में शब्द, और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ट) में शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ठ) में शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर" रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (ड) में शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" रख दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (ढ) में शब्द और प्रतीक "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" रख दिये जायेंगे।"

धारा 50 का
संशोधन

3-(1) मूल अधिनियम की धारा 50 में,-

"(क) उप धारा (1-छ) में, शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (1-ज) में, शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ग) उप धारा (1-झ) में, शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उप धारा (1-ञ) में, शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उप धारा (1-ट) में, शब्द और प्रतीक "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" रख दिये जायेंगे।"

धारा 52 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, -

(क) उप धारा (2-च) में, शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप धारा (2-छ) में, शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़" रख दिये जायेंगे;

(ग) उप धारा (2-ज) में, शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उप धारा (2-झ) में, शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर" रख दिये जायेंगे;

(ङ) उप धारा (2-ञ) में, शब्द और प्रतीक "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" के स्थान पर शब्द और प्रतीक "गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद" रख दिये जायेंगे।

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में, शब्द और प्रतीक “महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़” के स्थान पर शब्द और प्रतीक “महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, आजमगढ़”, शब्द और प्रतीक “राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़” के स्थान पर शब्द और प्रतीक “राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़”, शब्द और प्रतीक “मौं पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर” के स्थान पर शब्द और प्रतीक “मौं पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर”, शब्द और प्रतीक “मौं विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर” के स्थान पर शब्द और प्रतीक “मौं विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर” और शब्द और प्रतीक “उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद” के स्थान पर शब्द और प्रतीक “गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद” रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का
संशोधन

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 209(2)/LXXIX-V-1-2024-2-ka-13-2024

Dated Lucknow, July 19, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhyadesh, 2024 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 12 of 2024) promulgated by the Governor. Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2024

(U.P. ORDINANCE NO. 12 OF 2024)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities Short title (Amendment) Ordinance, 2024.

Amendment of section 4 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

2. (1) In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *hereinafter* referred to as the "principal Act", in sub-section (1-A) of section 4,-

"(a) In clause (j), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In clause (k), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh" for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In clause (l), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur" for the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In clause (m), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur" for the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In clause (n), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad" for the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

Amendment of section 50

3. (1) In section 50 of the principal Act,-

"(a) In sub-section (1-G), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (1-H), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh" the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (1-I), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur" the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (1-J), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur" the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (1-K), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad" the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

Amendment of section 52

4. (1) In section 52 of the principal Act,-

"(a) In sub-section (2-F), for the words and symbol "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (2-G), for the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh" the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh" shall be *substituted*.

(c) In sub-section (2-H), for the words and symbol "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur" the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur" shall be *substituted*.

(d) In sub-section (2-I), for the words and symbol "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur" the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" shall be *substituted*.

(e) In sub-section (2-J), for the words and symbol "Uttar Pradesh State University, Moradabad" the words and symbol "Guru Jambheswar University, Moradabad" shall be *substituted*."

5. In the Schedule to the principal Act, for the words "Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh" the words and symbol "Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh", "Raja Mahendra Pratap Singh State University, Aligarh" the words and symbol "Raja Mahendra Pratap Singh University, Aligarh", "Maa Pateshwari Devi State University, Balrampur" the words and symbol "Maa Pateshwari University, Balrampur", "Maa Vindhyavasini State University, Mirzapur" the words and symbol "Maa Vindhyavasini University, Mirzapur" and "Uttar Pradesh State University, Moradabad" the words and symbol "Guru Jambheshwar University, Moradabad" shall be *substituted*. Amendment of
Schedule

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.